

स्कूलों में यौन उत्पीड़न के लिए कौन जिम्मेवार ठहराया जाएगा?

व्यक्तिगत जिम्मेदारी

विद्यार्थी, स्कूल स्टाफ और सेवा प्रदाता यौन उत्पीड़न के अपने कृत्य के लिए SDO के अंतर्गत स्वयं जिम्मेदार हैं।

यौन उत्पीड़न में मदद करना

व्यक्तिगत जिम्मेदारी लागू हो सकती है यदि एक विद्यार्थी/स्टाफ का सदस्य/सेवा प्रदाता:

- किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति का यौन शोषण करने के लिए दबाव डालता/ती है;
- किसी व्यक्ति पर अन्य व्यक्ति का यौन शोषण करने के लिए निर्देश देता/ती है;
- जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का उत्पीड़न करने में मदद करता/ती है (जैसे किसी व्यक्ति के साथ मिलकर भेदे मजाक बोलने में शामिल होता/ती है)

परोक्ष जिम्मेदारी

स्कूलों और सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए "तर्कसंगत व्यवहारिक कदम" उठाने होंगे कि स्कूल यौन उत्पीड़न से मुक्त है; अन्यथा उनके कर्मचारी या उनके एजेंटों द्वारा उनके रोजगार के दौरान किए गए गैरकानूनी कार्य के लिए उन्हें परोक्ष तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, चाहे स्कूल या सेवा प्रदाता (जैसा भी मामला हो) को इसकी जानकारी नहीं हो या यौन उत्पीड़न की घटनाओं को अधिकृत नहीं किया हो।

एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए यदि उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है?

1. आवाज उठाइए। "ना" कहें। सुरक्षित स्थितियों में उत्पीड़न करने वाले को बताएं कि उसका व्यवहार अवांछित है और इसे रोकना होगा।
2. उत्पीड़न करने वाले से दूर एक सुरक्षित स्थान पर या ऐसे क्षेत्र में भाग जाएं जहां ज्यादा लोग हों।
3. किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर भरोसा करता/ती है, जैसे उसके शिक्षक/ माता-पिता/सोशल वर्कर/NGO स्टाफ और मदद तथा सलाह की मांग करें। इसे अपने तक सीमित ना रखें।

एक माता-पिता के रूप में आप क्या करें जब आपका बच्चा आपको बताए कि उसका यौन शोषण हुआ है?

1. ध्यान से सुनें और उसमें भरोसा प्रकट करें। बच्चे को आश्वस्त करें कि आप इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
2. शांत बने रहें और बच्चे को उस घटना के विवरण सहित तारीख, समय, स्थान और गवाह(हों) के बारे में बताने को कहें।
3. स्कूल प्रिंसिपल, इंचार्ज शिक्षक या संबंधित सेवा प्रदाता के प्रभारी व्यक्ति के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएं। यदि आवश्यक हो तो समुदाय लीडरों/NGOs/सोशल वर्करों से सहायता मांगें।
4. आपके बच्चे की ओर से समान अवसर आयोग (EOC) के पास शिकायत दर्ज करवाएं। आप हमें 2511 8211 पर भी कॉल कर सकते हैं।
5. यदि आपको घटना में किसी आपराधिक तत्व (जैसे अभद्र हमला) का संदेह है तो मामले की पुलिस में रिपोर्ट करें।

यदि आपको यौन उत्पीड़न और भेदभाव-विरोधी अध्यादेशों के अंतर्गत आपके अधिकारों पर और जानकारी चाहिए तो कृपया संपर्क करें:

Equal Opportunities Commission

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

हॉटलाइन: 2511 8211

ईमेल: eoc@eoc.org.hk

वेबसाइट: www.eoc.org.hk

SMS पृष्ठताछ सेवा: 6972566616538

(सुनने/बोलने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए)

कार्यालय समय: सोमवार से शुक्रवार 8:45am से 5:45pm तक

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाएं अपने बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाएं



यौन उत्पीड़न से किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विशेषकर बच्चों पर इसके दुष्प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। यह उनके सामान्य वृद्धि और विकास के साथ साथ सामाजिक व्यवहार और सीखने और स्कूल प्रदर्शन को बाधित कर सकता है। यह एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव का कारण हो सकता है।

SDO के अंतर्गत विपरीत लिंग के साथ ही समान लिंग के व्यक्ति का यौन उत्पीड़न करना भी गैरकानूनी है। बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का कानून स्कूलों, ट्यूटोरियल सेंटरों, किडरगार्टन, अन्य शैक्षिक संस्थानों और नर्सरियों पर लागू होता है। यह स्कूल संचालन में अन्य सहायक सेवा प्रदाताओं जैसे स्कूल बसों, स्टुडेंट कैंटीन या कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स कोचिंग आदि पर भी लागू होता है। चाइल्ड केयर सेंटर भी एक सेवा प्रदाता माने जा सकते हैं और SDO के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संबंधित सुरक्षा लागू होगी।

ध्यान दें: यदि एक बच्चे का उत्पीड़न ऐसे परिदृश्य में होता जो SDO में नहीं आता है, जैसे एक दोस्त के घर में या एक सार्वजनिक परिवहन में तो कृपया सहायता के लिए पुलिस से मदद लें।


लिंग भेदभाव अध्यादेश (SDO) के अनुसार यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न

द्वेषपूर्ण / डरावना वातावरण

- यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण, जो व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाए जिससे एक द्वेषपूर्ण/भयभीत करने वाला माहौल पैदा हो

उदाहरण



- इस प्रकार के यौन उत्पीड़न उदाहरणों में शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं भद्दी या अश्लील सामग्रियां प्रदर्शित करना, यौन मजाक, गंदी बातचीत और यौन संबंधी मजाक या गतिविधियां करना

व्यक्ति-से-व्यक्ति तक उत्पीड़न

- यौन संबंध के लिए कोई भी अवांछित/अप्रिय यौन प्रयास, या किसी व्यक्ति को लक्षित करते हुए यौन प्रकृति का अन्य व्यवहार
- यदि, सभी परिस्थितियों के संबंध में एक विवेकपूर्ण व्यक्ति यह समझेगा कि उपरोक्त कार्य(यों) से दूसरा व्यक्ति नाराज, अपमानित या डरा हुआ महसूस करेगा

उदाहरण



- अवांछित शारीरिक संपर्क, अवांछित और अनिच्छा से गले लगाना, चुंबन, छूना, दबाना या जानबूझकर दूसरे व्यक्ति के साथ रगड़ना



- यौन टिप्पणियां: किसी व्यक्ति के शरीर या आकार पर यौन अभिव्यक्ति सहित यौन संबंधी चुटकुले, टिप्पणियां



- आपत्तिजनक संप्रेषण: यौन प्रकृति का लिखित संप्रेषण जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचारित संदेश भी हो सकते हैं



- अन्य अनुचित व्यवहार: घूरना, ताड़ना या यौन प्रकृति के इशारे करना

No!

